इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी
Indira Gandhi National Forest Academy
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India
डाकघर- न्यू फॉरेस्ट, देहरादून / P.O. New Forest, Dehradun - 248006
दूरभाष/Ph.- 0135-2757316 / फैक्स/Fax- 0135-2757314,
वेबसाइट/website- www.ignfa.gov.in / ई.मेल/email- director@ignfa.gov.in

सत्यमेव जयते

संख्या/No.-1257-1264/2026/रा.व.अ./0.2 (तिमाही बैठक-1) दिनांक/Dated: 30.06.2026

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 96वीं बैठक का कार्यवृत्त

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 96वीं बैठक **श्रीमती भारती, निदेशक, आईजीएनएफए** की अध्यक्षता में **12.06.2026** को 04.30 बजे (अप.), अकादमी के बोर्डरूम में सम्पन्न हुई। बैठक में अधोलिखित अधिकारियों/सदस्यों ने भाग लिया -

1. श्री राज कुमार बाजपेयी - अपर निदेशक
2. श्रीमती सरिता कुमारी - प्राध्यापक
3. श्रीमती अजीता लोंग्जम - सह प्राध्यापक एवं पाठ्यक्रम निदेशक (2025 बैच)
4. श्री कुणाल अंग्रिश - सह प्राध्यापक एवं पाठ्यक्रम निदेशक (2024 बैच)
5. श्री ऐश्वर्य राज - सह प्राध्यापक एवं प्रभारी अधिकारी राजभाषा
6. श्री अमित कुमार रुहेला - कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी

मद सं.1 : पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि -

बैठक का आरंभ अध्यक्ष द्वारा सभी सदस्यों के स्वागत से हुआ; तदुपरांत बैठक की कार्यसूची पर मदवार चर्चा आरंभ की गई। 1 जनवरी से 31 मार्च 2026 की तिमाही के दौरान विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 95वीं तिमाही बैठक 23.03.2026 को सम्पन्न हुई थी जिसका कार्यवृत्त अकादमी के सभी संकाय सदस्यों/अधिकारियों एवं कार्यालयों में अनुवर्ती कार्रवाई हेतु परिचालित करा दिया गया था । चर्चा के दौरान इस पर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ; अतः अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी सदस्यों की सहमति से पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि कर ली गई।

मद सं. 2 : पिछली तिमाही (1 जनवरी से 31 मार्च 2026) की तिमाही-रिपोर्ट की समीक्षा -

1 जनवरी से 31 मार्च 2026 की तिमाही की राजभाषा विषयक रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान समिति को अवगत कराया गया कि अकादमी द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम-5 का पूर्णतः अनुपालन किया जा रहा है तथा अंग्रेजी में प्राप्त होने वाले पत्रों के उत्तर भी हिन्दी में ही दिये जा रहे हैं। यह भी अवगत कराया गया कि विगत तिमाही के दौरान अकादमी से 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्र के साथ शत-प्रतिशत पत्राचार हिन्दी में किया गया है। इन क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्य क्रमशः 100%, 100% तथा 70% है। अध्यक्ष महोदया द्वारा रिपोर्ट पर प्रसन्नता व्यक्त की गई और इस स्थिति को बनाए रखने का निदेश भी दिया गया।

(कार्रवाई- समस्त संकाय सदस्य एवं प्रभारी अधिकारी)

मद सं. 3: राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम पर चर्चा -

इस बिन्दु पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदया द्वारा निम्नलिखित निदेश पारित किए गए -

i. वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित अनुसार, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा-3(3) का अनुपालन लगातार किया जाए।

ii. नियम-5 के अनुसरण में अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों / अभ्यावेदनों आदि के उत्तर भी अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही दिए जाएं।

क्रमशः ..

iii. क, ख और ग क्षेत्रों में शत-प्रतिशत मूल पत्राचार हिन्दी में और यथा-आवश्यकता द्विभाषी किया जाए।
iv. कार्यालय में 80 प्रतिशत से अधिक टिप्पणियाँ हिन्दी में लिखी जाएं।
v. इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

मद सं. 4: पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों/आदेशों पर अनुवर्ती कार्रवाई -

अध्यक्ष महोदया द्वारा पिछली बैठक के निर्णयों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई और निम्नलिखित निदेश पारित किए गए -

i) अध्यक्ष महोदया को अवगत कराया गया कि पूर्व बैठकों में लिए गए निर्णय के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पुस्तकालय द्वारा हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर 50% व्यय का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। निदेशक महोदया द्वारा इस पर प्रसन्नता व्यक्त की गई और इसे सतत रूप से बनाए रखने का निदेश दिया।

(कार्रवाई : अध्यक्ष, पुस्तकालय समिति तथा पुस्त. एवं सूचना अधिकारी)

ii) अध्यक्ष महोदया को अवगत कराया गया कि अकादमी के प्रशिक्षण अधिकारी हिंदी के पद के संबंध में मंत्रालय से प्राप्त पत्र का उत्तर प्रेषित कर दिया गया है। भविष्य में प्राप्त होने वाले पत्रों पर भी यथेष्ट कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। (कार्रवाई : प्रभारी अधिकारी प्रशासन)

iii) प्रशिक्षण के लिए प्रयोग में आने वाली प्रेजेन्टेशनों का हिंदी अनुवाद किए जाने के संबंध में महोदया द्वारा निदेश दिया गया कि तरू पोर्टल से 2024 बैच के चयनित व्याख्यानों का अनुवाद फेज-वाइज किया जा सकता है। साथ ही, अकादमी के पुस्तकालय में उपलब्ध लेक्चर नोट्स की पहचान कर उनका अनुवाद केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली के माध्यम से कराया जाए।

(कार्रवाई : प्राध्यापक - अकादमिक एवं प्रभारी पुस्तकालय/पुस्त.सूचना अधिकारी)

अध्यक्ष महोदया द्वारा पुन: निदेश दिया गया कि हिन्दी में कार्य करते हुए सरल और सुबोध हिन्दी का प्रयोग किया जाए। यदि किसी को हिन्दी लिखने में समस्या हो तो पहले छोटे-छोटे नोट हिन्दी में लिखने से शुरूआत करें।

बैठक के अंत में राजभाषा प्रभारी द्वारा अध्यक्ष महोदया तथा उपस्थित सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा अध्यक्ष महोदया की अनुमति से बैठक की समाप्ति की घोषणा की गई।

(ऐश्वर्य राज / Aishwarya Raj)
सह प्राध्यापक एवं प्रभारी अधिकारी (रा.भा.)
Associate Professor & OIC-O.L.

वितरण (सूचनार्थ एवं कार्रवाई हेतु) -

1.	निदेशक एवं अपर निदेशक के वैय. सहायक	-	महोदया की सूचनार्थ
2.	प्रभारी प्राध्यापक (अकादमिक)	-	सूचनार्थ एवं 4(iii) पर कार्रवाई के अनुरोध सहित।
3.	अध्यक्ष, पुस्तकालय समिति	-	सूचनार्थ एवं 4(i) पर कार्रवाई के अनुरोध सहित।
4.	समस्त संकाय सदस्य एवं अधिकारीगण	-	सूचनार्थ और उपर्युक्तानुसार कार्रवाई हेतु
5.	प्रभारी अधिकारी (प्रशासन)	-	उक्त मद सं. 4(ii) पर कार्रवाई के अनुरोध सहित।
6.	सहायक (कार्यालय)	-	सूचनार्थ और सभी कार्मिकों के संज्ञान में लाने हेतु
7.	आईटी अनुभाग	-	वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
8.	समस्त सूचनापट्ट (अकादमी)		